(TO BE PUBLISHED IN AN EXTRA ORDINARY GAZETTE OF DELHI, PART IV)

STATE ELECTION COMMISSION,
N.C.T. OF DELHI, NIGAM BHAWAN,
KASHMERE GATE, DELHI-110006.

No.F.4 (229)/OSD.I/Legal/SEC/2017/699 Dated the 13th April, 2017

NOTIFICATION

WHEREAS for the purpose of holding general elections to the three Municipal Corporations of National Capital Territory of Delhi, the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi, has called upon all the wards of three Municipal Corporations of Delhi to elect Councillors vide Commission's Notification of even number dated the 22nd March, 2017,

AND WHEREAS the period for filing nominations for the above election was fixed as 27th March, 2017 to 3rd April, 2017 and scrutiny of nominations was conducted on 5th April, 2017 as scheduled.

AND WHEREAS Smt. Naseema was nominated as a candidate for Ward No.40E of East Delhi Municipal Corporation by the SAMAJWADI PARTY, recognized as a STATE PARTY of Election Commission of India and adopted as such by this Commission under the provisions of Rule 15 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 and the SYMBOL ORDER issued thereunder.

AND WHEREAS the Returning Officer of Ward 40E of East Delhi Municipal Corporation has vide his letter No.F.1/RO/65/SLP/2017/120, dated the 7th April, 2017 informed that the said Smt. Naseema, a nominated candidate from ward 40E of EDMC, has expired on 5.4.2017 at 4.00 A.M.

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of Rule 32 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012, the Commission adjourns the poll for Ward No.40E of East Delhi Municipal Corporation as was fixed earlier to be held on 23.4.2017 and orders for fresh poll as per programme given below:-

1. Filing of nominations 17.4.2017(Monday) to 24.4.17 (Monday)
2. Scrutiny of nominations on 26.4.2017 (Wednesday)

3. Last date for withdrawal of candidatures. by 3.00 P.M. on 29.4.2017 (Saturday)

3. Last date for withdrawal of candidatures.	by 3.00 P.M. on 29.4.2017 (Saturday)
4. Date of poll, if necessary	14.5.2017 (Sunday)
5. Counting of votes	16.5.2017 ((Tuesday)
6. Completion of election	22.5.2017 (Monday)

The candidates who have filed their nominations earlier for above said Ward No.40E of EDMC need not file fresh nominations. The Samajwadi Party (a State recognized party) may file nominations of a fresh candidate to the said Ward 40E during the period of nominations as aforesaid. Provided that no person who has given a notice of withdrawal of his candidature under rule 23 of the aforesaid rules before the adjournment of the poll, shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election after such adjournment.

(S.K. SHRIVASTAVA)
State Election Commissioner.

(दिल्ली राजपत्र (भाग–4) असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राज्य चुनाव आयोग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
निगम भवन : कश्मीरी गेट : दिल्ली– 100006

संफा० 4(229)/ओएसडी–1/विधि०/सचि०/2017/ 619 दिनांक: 13 अप्रैल, 2017

अधिसूचना।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तीन नगर निगमों के आम चुनाव कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोग की दिनांक 22 मार्च, 2017 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा पार्षदों को चुनने के लिये दिल्ली की तीन नगर निगमों के समस्त वार्डों को कहा गया।

और जबकि, उक्त चुनाव के लिये नामांकन भरने की अवधि 27 मार्च, 2017 से 03 अप्रैल, 2017 तक निश्चित की गई थी और नामांकनों की जांच 5 अप्रैल, 2017 को हुई थी।

और जबकि, श्रीमती नसीमा को भारत के निर्वाचन आयोग की राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त समाजवादी पार्टी द्वारा पूर्व दिल्ली नगर निगम के वार्ड संख्या 40–ई के लिये एक उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया था और दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 15 के प्रावधानों के अधीन इस आयोग द्वारा उसी रूप में अंगीकार किया गया।

और जबकि, पूर्व दिल्ली नगर निगम के वार्ड–40ई के रिटर्निंग अधिकारी ने अपने दिनांक 7 अप्रैल, 2017 के पत्र संख्या फा० 1/आरओ/65/एसएलपी/2017/120 द्वारा सूचित किया कि उक्त श्रीमती नसीमा, पूर्व दिल्ली नगर निगम के वार्ड 40–ई से एक उम्मीदवार के रूप में नामित उक्त श्रीमती नसीमा का दिनांक 5.4.2017 को प्रातः 4.00बजे निधन हो गया है।

अब, इसलिए, दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव), नियमावली, 2012 के नियम 32 के प्रावधानों के अनुसरण में आयोग पूर्व दिल्ली नगर निगम के वार्ड संख्या 40–ई के लिये मतदान स्थगित करता है, जिसे पहले 23.4.2017 को निश्चित किया गया था और नये मतदान के आदेश नीचे दिये गये कार्यक्रम के अनुसार होंगेः–

1.	नामांकनों का भरना	17.4.2017 (सोमवार) से 24.4.2017 (सोमवार)
2.	नामांकनों की जांच	26.4.2017 (बुधवार)
3.	नाम वापिस लेने की अन्तिम तिथि	29.4.2017 (शनिवार) को अपराह्न 3.00बजे तक
4.	मतदान की तिथि, यदि आवश्यक हो	14.5.2017 (रविवार)
5.	मतों की गिनती	16.5.2017 (मंगलवार)
6.	चुनाव का समापन	22.5.2017 (सोमवार)

जिन उम्मीदवारों ने पूर्व दिल्ली नगर निगम के उक्त वार्ड संख्या 40–ई के लिये पहले अपने नामांकन भर दिये हैं उन्हें नये नामांकन भरने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी (एक राज्य मान्यता प्राप्त पार्टी) यथाउल्लिखित नामांकनों की अवधि के दौरान उक्त वार्ड 40–ई के लिये नये उम्मीदवार का नामांकन भर सकती है। उपबंध है कि कोई व्यक्ति जिसने मतदान स्थगित होने से पूर्व उपरोक्त नियमावली के नियम 23 के अन्तर्गत अपने नाम वापस लेने का नोटिस दिया है तो वह ऐसे स्थगन के पश्चात् चुनाव के लिये उम्मीदवार के रूप में पुनः नामित होने का पात्र होगा।

(एस०के० श्रीवास्तव)
राज्य चुनाव आयुक्त